an>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Delhi Special Police Establishment (Amendment) Bill, 2014 (Discussion not concluded).

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Supplementary List of Business. We are taking up Item 12A.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, before we take up consideration of The Delhi Special Police Establishment (Amendment) Bill, we have to allot time for its discussion. If the House agrees, we can allot two hours.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes. ...(*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Delhi Special Police Establishment Act, 1946, be taken into consideration."

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Delhi Special Police Establishment Act, 1946, be taken into consideration."

Shri Arjun Ram Meghwal to speak.

...(*Interruptions*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2014 पर बोलने का अवसर दिया है। ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष जी, इस बिल के दो ही प्रावधान हैं। ...(व्यवधान) जो सन् 1946 का एक्ट था, उसका सैक्शन 4(ए) और क्लॉज़ बी ऑफ सब-सैक्शन (1) में सरकार अमेंडमेंट करने जा रही है। ...(व्यवधान) उसका उद्देश्य यह है कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति होनी है और यह देश के इंट्रैस्ट में है। ...(व्यवधान) मैं ऐसा सोचता हूँ कि यह कांग्रेस के भी इंट्रैस्ट में है। ...(व्यवधान) कांग्रेस के साथियों को भी इस चर्चा में भाग लेना चाहिए और उसमें सुनना चाहिए। ...(व्यवधान) क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी, तब यह अमेंडमेंट किया गया था कि सीबीआई के डायरेक्टर के सिलेक्शन के लिए जो पैनल बनेगा, उसमें लीडर ऑफ अपोज़िशन शब्द इन्होंने डाल दिया ...(व्यवधान) लेकिन इनको पता नहीं था कि सन् 2014 में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि कांग्रेस लीडर ऑफ अपोज़िशन बनने के लायक भी नहीं रहेगी। ...(व्यवधान) तब जा कर इनको समझ में आया कि यह क्या हुआ। ...(व्यवधान) यह जो टैक्निकल दिक्कत आई है, हम तो उसको दूर करने के लिए यह बिल ले कर आए हैं। ...(व्यवधान) इस बिल में लीडर ऑफ अपोज़िशन शब्द की जगह सिंगल लारजेस्ट आपोज़िशन पार्टी शब्द जोड़ रहे हैं। यह बिल कांग्रेस के हित में है। यह बिल देश के हित में है। दूसरा जो अमेंडमेंट है, वह यह है कि जो कमेटी बनी हुई है, उसमें कई मैंबर उस समय एब्सेंट रह जाते हैं।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, this is a Supplementary agenda. If they want to take it in a hurry and tell that we are recognising the single largest party as Member of the Selection Committee, we are not here to beg for that post. We are here to uphold the democratic principles....(*Interruptions*) Therefore, such kind of bills should not be taken up in a hurry. The Government has assured us that they will discuss it tomorrow or day after tomorrow....(*Interruptions*) We will definitely cooperate in passing this Bill or other bills. The Minister has introduced the Bill and that is enough. If they put it for passing then we will oppose it....(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: They are not passing it hurriedly.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Only discussion is taking place.

...(*Interruptions*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, अभी खड़गे साहब बता रहे थे, अगर ये स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स पढ़ लेते तो इनको स्थिति क्लियर हो सकती थी।...(व्यवधान) सैक्शन 4 (ए) में जो दिल्ली पुलिस इस्टेबिलिशमेंट 1946 का हवाला दिया हुआ है, उसमें लोकपाल और लोकायुक्त का बिल भी इसी हाउस में पास हुआ था। वह इन्होंने ही पास किया था, उस समय यूपीए सेकेंड थी। उसमें भी इन्होंने लीडर ऑफ अपोजीशन शब्द डाल दिया था।...(व्यवधान) लोकायुक्त और लोकपाल के अधिनियम में आने प्रक्रिया में हर्डल आ रही है, हम उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और सीबीआई के डॉयरेक्टर के एप्वाइंटमेंट में जो हर्डल आ रही है, हम उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।...(व्यवधान) हम देश हित में काम कर रहे हैं। नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश हित में काम करने का जो संकल्प लिया है, हम उसे पूरा करने का काम कर रहे हैं।...(व्यवधान)

महोदय, जो इसमें दूसरे अमेंडमेंट की बात है, उसमें सिलेक्शन का एक पैनल है।...(व्यवधान) उस सिलेक्शन पैनल में कई बार कोई मेंबर नहीं आता है।...(व्यवधान) केवल उसी रीजन के कारण वह सिलेक्शन इनवैलिड नहीं हो, इसका प्रयास इस बिल में हमने किया है।...(व्यवधान) यह जो सैक्शन 4 (ए) है, इसमें अगर आप बी का पार्ट 2 देखते हैं:

"No appointment of a Director shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence of a member in the committee."

ये जो दोनों प्रावधान किए गए हैं, ये दोनों ही प्रावधान देश हित में हैं। आगामी दो दिसंबर को सीबीआई डॉयरेक्टर का पद खाली होने वाला है, अर्जेंसी है, इसलिए हम इस बिल को लाए हैं। हम इस बिल को कोई जल्दबाजी में नहीं लाए हैं, सोच-समझकर लाये हैं, डिसकस करके लाए हैं और यह बिल देश हित में है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि इस बिल को पास किया जाए। मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Hon. Deputy Speaker, Sir, what Shri Khargeji, one of the most experienced Parliamentarians, has said is true. There is no need to rush through the Bill. What I am suggesting is that we will discuss the Bill threadbare and we will pass it tomorrow as suggested by him. I have no problem in that....(*Interruptions*) The urgency to introduce the Bill has been explained. The Leader of the largest party in the Opposition has already said that they have no problem and they are also willing to cooperate and pass the Bill. My suggestion is that there are different sections of people in Parliament, let them express their views. I am not going to press for voting today. We will take it for tomorrow. Tomorrow also, if need arises, we will discuss it for some more time and then pass it.

Once the Bill is introduced and discussion started, we should cooperate....(*Interruptions*) The entire country is watching as to who is obstructing the House out of 543 Members.....(*Interruptions*) Please try to understand the spirit of democracy. The democracy goes by majority and cooperation of minority also. So, I appeal to the House that let the discussion proceed. We will take the passage of the Bill tomorrow. ...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: It will be passed tomorrow.

...(*Interruptions*)

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, this Bill proposes an amendment to the Delhi Special Police Establishment Act. Our Party, Telugu Desam Party, supports this Bill without any change. ...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: The Parliamentary Affairs Minister has already said that this Bill would be passed tomorrow only.

...(*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Let it be discussed tomorrow. ...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: He accepted and said that this Bill would be passed tomorrow and not today. He has asked the Members who want to speak on this Bill to speak today.

...(*Interruptions*)

SHRI THOTA NARASIMHAM : This Bill is very much necessary because the present CBI Director is retiring on 2nd December and we need to appoint a new Director. As of now, there is no Leader of Opposition. So, we need to bring this change in the original Act which will enable the Government to appoint a new CBI Director.

Thank you very much....(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: He already said that this Bill is not going to be passed today and it would be passed tomorrow. We will be allowing other Members to speak tomorrow also. We are not going to pass this Bill today. Today only those who are interested to speak will speak.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Shri Tathagata Satpathy.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Kharge ji, what do you want?

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Shri Venkaiah Naidu ji has said that this Bill would be passed tomorrow. Therefore, we can have a discussion on this Bill tomorrow and not today. Sir, we can take up this Bill tomorrow. If you are going to insist, we do not want to be a party to this. Therefore, we stage a walk out now....(*Interruptions*)

14.37 hrs

At this stage, Shri Mallikarjun Kharge, Shri Sudip Bandyopadhyay

and some other hon. Members left the House.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Hon. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity.

I am surprised that the speakers from the ruling alliance have considered it of no significance to pass this Bill which is probably containing totally seven to eight lines. It seems extremely innocuous. It looks like that it is just a passing phase and one should rush through it. But there is a saying in English "Birds of the same feather flock together." So, whether it be the Congress or the BJP, in the past four Lok Sabhas, I am not seeing much of a change in character or change in behaviour. Once they are in the Opposition, they scream and shout for justice. When they go over to the Government, they are as big a bully as is possible.

Sir, CBI Director's post is at stake. The whole country knows it. Thanks to a PIL filed in the Assam High Court we came to know how the organization, Central Bureau of Investigation has had an unnatural birth and because of that, today we stand here and discuss how its Director, an organization whose birth is at question, shall be nominated. The normal procedure was that the Director shall be nominated by a Committee consisting of three members – Leader of the Opposition or now they are calling the Leader of the single largest opposition party, that is what is being cited as reason for the change, the Prime Minister and the Chief Justice of the Supreme Court. Today, there is no single Party that is capable of labeling itself as the main Opposition Party. Therefore, the Government is acting as if they have to make do with whatever is available. But, Sir, the dangerous part is in Section (2) which says: "No appointment of a Director shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence of a member in the Committee." That means, we are always behaving in an extremely knee-jerk motion. This House may pass this Bill today or tomorrow. Let us think about 10 years later. Ten years hence when another Government would be in power and other people would be Ministers, they will take it that in the absence of a Member in the Committee, they can go ahead; may be two people, may be one person, may be the Leader of the House alone can go ahead and say that the other two Members were absent. It is an extremely dangerous thing.

Sir, no time has been given to us to give amendments. I would suggest that the time should be allocated to give amendment; and let this be discussed threadbare because the CBI today, is an organisation that is being used by whosever happens to be in power. We had seen how the UPA had misutilised that organisation; you have yourself seen it in your State; and we are seeing, even in present days, why our colleagues from West Bengal and other parts of the country are worried. It is because the CBI is being used as an instrument of reeking vendetta on political adversaries.

Sir, I would give one example. There was an incident in Nithari, about which people were amazed and shocked across the length and breadth of this country. Young small children were taken into a palatial home of two people. One was Pandher and the other one was Koli....(*Interruptions*) Yes, Koli was a servant. We all know how the kids were brutalized, how they were used as objects of desire, how they were butchered and how their limbs were cut off. There was blood everywhere. All circumstantial evidences were found. But unfortunately, the CBI, which was the investigating agency, let off the owner, who was rich and blamed the domestic help for all the crimes. That poor fellow is probably now waiting for the gallows.

So, the CBI – let us be very, very clear – is not a divine organisation. Lately we have seen the outgoing Director, his *kaarnaama,* his whole drama. The whole nation has seen it as to how he met people seven-eight times in a day, how he had been meeting people -- who are indicted, whom his agency was supposed to be investigating -- till late at night at his home. Interestingly, Sir, on the Coalgate scam, the Supreme Court, towards the end of its judgment, has said that they will reserve their judgment because if they give their full opinion, it will damage the premier investigating agency of this country. This is what it meant. I am not exactly quoting the words because I do not have it noted down with me. But this is what it implied.

So, Sir, the Supreme Court has already cast an aspersion on the CBI. Then, it can fairly be assumed by the common man in this country that officials working in the CBI probably have their personal agendas and they are working with their eyes at someone else in the North Block or the South Block, who will please them, who will help them in their careers. And, to get those benefits, they will go out hunting â€¦. they want. This is the mindset that is operating in the CBI. To counter-balance this, it is essential that we have this Committee, for sure. Let the leader of the largest Opposition party be a Member. We support that. We have no objections.

But we vehemently, from the Biju Janata Dal, want to put it on record that the CBI is a highly corrupt organisation. Its motives are suspect. Its officers are generally very corrupt. Therefore, we are not willing to accept that by reason of any vacancy or absence of a Member in the Committee that this Bill should be passed. With these two words that 'as long as there is a vacancy or an absence' the nomination to the Director of the post of CBI should not be acceptable.

HON. DEPUTY-SPEAKER: You made an observation which cannot be used like that. Therefore, those words will be removed.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: To use it against the official, is not correct.

...(*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Thatagataji, please try to understand. Making a sweeping allegation against the entire organization is not advisable. I would request you to please modify your words.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : It is not my opinion. I am nobody.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: When it goes on record, it will be seen as if the entire organization is condemned. Yes, what you are saying is, there are apprehensions; there are criticisms also; and there were comments made even by the hon. Supreme Court also. So, while formulating a new law or taking steps to improve, we have to keep all these things in mind and try to make it as foolproof as possible. That is the effort. That is why, I want this discussion today and tomorrow also, if possible, so that we can get the best possible suggestions from various sections of the House and then we can move forward....(*Interruptions*) We have no problem. The problem is, there is an urgency because we have to fill up the vacancy of the Director before 2nd December. You cannot cripple an organization, that too, an organization which is investigating into many, many sensitive cases in the country. Some of them are being monitored by the highest court of the land. That is the background. Please try to understand. I am not rushing. I have told it already.

I do not know why the leader of the largest Opposition party has not taken it positively. I wish he would have been here. He could have given his valuable advice. I hope that he will give tomorrow morning. It is not the question of *per se* we are trying to influence him by including the largest party. Today his party may be the largest party. Tomorrow, some other party or your party may become the largest party and that may become member in the Committee. But I do not want to say it. People of the country are better judges. They will decide. Sometimes, we were in the Opposition. Now they are in the Opposition. That is the position. We have to understand this. I am thankful to you for your support.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : The 2 nd December date is not a power making date. You knew it in the last Session also. It could have been done. So, pushing it through right now seems a little bit unadvisable. But please allow the amendment. My demand is, please allow the amendment.

HON. DEPUTY SPEAKER: You have every right to move the amendment. You can move it. That is your right.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : The time is not there. How can I move it now?

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Yes, we know the urgency of this Bill. It is a fact that the CBI Director is going to retire next week and we have to appoint a new CBI Director.

The Statement of Objects and Reasons of this Amendment Bill says that naturally, as amended by the Lokpal and Lokayukta Act of 2013, the Delhi Special Police Establishment Act was amended and the Leader of the Opposition was a Member in the Committee which appoints the CBI Director. But in this House, in the Sixteenth Lok Sabha, we do not have an LoP because in democracy, we have seen that after 30 years a single largest party has come to power. After 1984 elections, this is the first time where the BJP Party could win and form the Government. And this Sixteenth Lok Sabha does not have the Leader of the Opposition. Yes, we have to definitely amend this Act because the earlier amended Delhi Special Police Establishment Act did not mention about the non-availability of the LoP. Hence, this amendment is necessary.

On behalf of my Party, TRS Party, we are supporting this Bill. As said by my good friend, Mr. Tathagata Satpathy no appointment of Director shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence of a member in the Committee. I would request the Government to make such an amendment so that if there is some vacancy, then in the guise of not having a member, the Government, whichever Party may be in power, should not appoint the Director at its whims and fancies. So, I feel that there is some necessity for this clause. Let this clause be there but we can make some amendment so that the spirit of this amendment will continue. Hopefully, if there is time we will suggest some amendment tomorrow.

श्री आर.के.सिंह (आरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज भी देश में कभी भी कोई संगीन मामला होता है, कोई करप्शन का मामला उठता है तो जनता से यही आवाज आती है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। हमारे एक माननीय मित्र ने इस हाउस में पूरे आर्गनाइजेशन को जिस तरह से कंडेम किया, वह कदापि एक्सेप्टेबल नहीं है। न ही वह सच्चाई है और न ही वह उस आस्था को रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहां की जनता की सीबीआई में है। आज भी वह आस्था उनके अंदर है। कुछ खराब लोगों के रहने के बावजूद संगठन के प्रति उनके अंदर आस्था है, जो यह दर्शाता है कि कुछ खराब लोगों के होने के बावजूद ज्यादातर लोग सीबीआई में अच्छे हैं, इसीलिए लोगों का इस संगठन पर विश्वास है।

हमारे विद्वान कुलीग ने पूरे आर्गेनाइजेशन को कंडेम किया, मैं उससे बिल्कुल असहमत हूं। यही एक आर्गेनाइजेशन है, जिसमें लोगों का आज तक विश्वास टिका हुआ है। हम लोगों की जिम्मेदारी यह है कि हम लोग इस विश्वास को बनाये रखें और इसे मजबूत करें। इसी दृष्टिकोण से चेंजेज लाए गए। पहले एक चेंज आया, जिसमें यह व्यवस्था की गयी कि डॉयरेक्टर के एप्वाइंटमेंट के लिए पैनल एक कमेटी तैयार करेगी, जिसके अध्यक्ष सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे, बाकी दो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर उसके मेंबर्स होंगे। इसके अलावा कुछ और मेंबर्स होंगे, जो कि पैनल तैयार करेगी और उनसे सरकार एप्वाइंटमेंट करेगी। पहले यह व्यवस्था की गयी थी। इसे चेंज करके, 1946 में जो अरेंजमेंट्स थे, उसको चेंज करके यह व्यवस्था की गयी कि इसे कमेटी करेगी, जिसे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हेड करेंगे। अब यह महसूस किया गया कि इसको और बाई-पार्टिसान किया जाए, इसको और ट्रांसपेरेंट किया जाए, इसको और न्यूट्रल किया जाए, इसीलिए यह व्यवस्था की गई कि जो कमेटी पैनल तैयार करेगी, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और जिसके सदस्य होंगे लीडर ऑफ अपोजीशन और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।

जिस समय यह प्रावधान किया गया, उस समय इस कंटिन्जेंसी को इमेजिन नहीं किया गया था कि कोई ऐसी भी स्थिति आएगी, जब कोई एक पार्टी के पास लीडर ऑफ अपोजीशन के रोल के लिए पर्याप्त संख्या नहीं होगी। यह इमेजिन नहीं किया गया था, इसीलिए यह डिफीकल्टी अभी आ गयी है। उसी डिफीकल्टी को हम लोग ओवर कम करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें सदन की पूरी सहमति है। हाउस के जितने लोग बोले, उन्होंने कहा कि इस पर हम लोगों की सहमति है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों ने सेकेंड अमेंडमेंट के लिए कठिनाई व्यक्त की है। उसमें यह प्रावधान है कि कोई एक मेंबर की एब्सेंस से सिलेक्शन vitiate नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसी व्यवस्था है, जो हर एक कानून में है। जहां कहीं भी कानून किसी कमेटी के द्वारा सिलेक्शन के लिए बना है, आप किसी भी कानून को उठाकर देखेंगे तो उसमें यह प्रावधान है कि उस सिलेक्शन कमेटी के किसी एक मेंबर की एब्सेंस के कारण वह सिलेक्शन vitiate नहीं होगा। यह प्रावधान अगर इस बार भी रहता तब भी एप्वाइंटमेंट में दिक्कत नहीं होती। एप्वाइंटमेंट में दिक्कत इसलिए हुयी, क्योंकि जिस समय वर्ष 2013 में लोकायुक्त कानून बना, उस समय सभी कंटिन्जेंसीज को विजुलाइज नहीं किया गया। जैसे कि इस कंटिन्जेंसी को विजुलाइज नहीं किया गया कि किसी पार्टी की इतनी संख्या नहीं होगी कि उसे लीडर ऑफ अपोजीशन की पोजीशन मिल सके। हर एक कंटिन्जेंसीज को विजुलाइज करके ही लॉ बनाना सम्यक होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, तीनों मेंबर्स कौन हैं? तीनों मेंबर्स में मात्र एक मेंबर सरकार के हैं, प्रधानमंत्री, दूसरे मेंबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और तीसरे मेंबर लीडर ऑफ अपोजीशन या लीडर ऑफ दी सिंगल लार्जेस्ट अपोजीशन पार्टी इन दी पार्लियामेंट है। इसमें सरकार का एक ही मेंबर है। अगर बाकी दोनों जो सरकार के मेंबर नहीं हैं, उनमें से एक भी रहेंगे तब भी यह सिलेक्शन बाई-पार्टिसान होगा या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके के नॉमिनी रहें या लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजीशन पार्टी रहें तब भी सिलेक्शन बाई-पार्टिसान होगा। इसलिए लोगों का जो यह संशय है, लोगों को यह शक है कि सरकार अपनी च्वाइस ही बुलडोज करेगी तो यह शक निर्मूल है, इसका कोई आधार नहीं है।

महोदय, जैसा कि हमने कहा है कि ये दोनों ही अमेंडमेंट्स बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल आवश्यक हैं। दोनों अमेंडमेंट्स की आवश्यकता इसलिए पड़ी, क्योंकि यह जो कंटिन्जेंसी आज अराइज किया है, उसे विजुलाइज पहले नहीं किया गया था। उस समय आपको याद होगा, जिस समय लोकायुक्त बिल पास हो रहा था, तब कितना टू एंड फ्रो हो रहा था, तब सम्भवतः यह हो सकता है कि उसमें यह कंटिन्जेंसीज मिस कर गया हो। उसी को हम लोग अभी करेक्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसको पास करने में, इस हाउस को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अर्जेन्सी के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, वह स्पष्ट है कि अर्जेन्सी क्यों है? जो भी अप्वाइंटमेंट हो, वह बिल्कुल तरीके से होना चाहिए और उसी के लिए यह सरकार आगे बढ़ रही है। इसलिए यह अर्जेन्सी है।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : महोदय, सरकार द्वारा आज दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक - 2014 लाया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। आज संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के पास जो जरूरी आंकड़ा होना चाहिए, वह नहीं है। सरकार यह प्रस्ताव लायी है कि जहां लीडर ऑफ अपोजिशन न हो, वहां लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को सी.बी.आई. के

डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए आधिकारिक मेम्बर बनाया जाए। हमारी पार्टी उसका स्वागत करती है। दूसरी ओर सरकार द्वारा एक और प्रस्ताव लाया गया कि डायरेक्टर के अप्वाइंटमेंट के अंदर अगर कोई मेम्बर की पोस्ट वैकेन्ट हो या मेम्बर न हो तो उस पोस्ट को इनवैलिड नहीं माना जाएगा, मेरे ख्याल से सरकार को इस मुद्दे को दोबारा देखना चाहिए क्योंकि जब विपक्ष का मेम्बर वहां नहीं होगा और डायरेक्टर की नियुक्ति की जाएगी, जिस तरह सत्पथी जी ने कहा था, मैं उसका स्वागत करता हूं। सरकार को इस पर विचार-विमर्श करना चाहिए और दोबारा अमैंडमेंट ला कर, अगर कोई मेम्बर नहीं आते हैं तो मेरे हिसाब से उस मेम्बर की जगह उसका कोई रिप्रजेंटेटिव वहां आ कर या उसकी जगह कोई प्रॉक्सी वोट डाल पाए, जिसके तहत डेमोक्रेसी के अंदर जो अधिकार है वह सबको मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करूंगा कि इस पर विचार-विमर्श कर, उस वोटिंग के अंदर, किसी रिप्रजेन्टेटिव को वहां पर आने का मौका दिया जाए, क्योंकि जो सी.बी.आई. है, मुझे लगता है कि हमारे देश की सबसे प्राइमेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। मगर, पिछले अनेक वर्षों से हम पॉलिटिकल प्रेसर के अंदर ऑपोजिशन के ऊपर सी.बी.आई का दुरुपयोग देखते आए हैं। मेरे ख्याल से अप्वाइंटमेंट के अंदर ऑपोजिशन का जो रोल है, वह बड़ा अहम है। कहीं न कहीं ऑपोजिशन का भी बराबर हक उसके अप्वाइंटमेंट में होना चाहिए। आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

श्री हरीश मीणा(दौसा) : महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण संशोधन पर बोलने का मौका दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह संशोधन लाना कानूनन आवश्यक था, वर्तमान में जो चुनाव हुए उसमें ऐसी स्थिति बनी कि एल.ओ.पी. की पोस्ट खाली रह गई जिसका श्रेय भारत की जनता को जाता है।

महोदय, हमारी एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था तभी सफल होती है, जब पार्टिसिपेटेड गवर्नेंस होता है। वर्तमान कानून के मुताबिक बिना संशोधन के, बिना एल.ओ.पी. को भी नियुक्ति हो सकती थी, चूंकि हमारी सरकार की इस व्यवस्था की साख बनानी है, इस संशोधन की साख बनानी है, इसके लिए आवश्यक था कि प्रजातंत्र में चाहे छोटा ही दल हो, चाहे कितनी भी छोटी आवाज हो उसको भी सुनना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी यह संशोधन लायी है। एल.ओ.पी. का पद नहीं होते हुए भी, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसकी इसके डिसिजन मेकिंग में साझीदारी हो। इसका यह फायदा होगा? उस पद की गरिमा बढ़ेगी, उसकी क्रेडिब्लिटी बढ़ेगी और जनता में विश्वास की भावना बढ़ेगी।

महोदय, यह आरोप लगाया गया है कि इसको जल्दी में लाया गया है। यह जल्दी में नहीं लाया गया है। परिस्थिति ऐसी बनी कि वर्तमान सी.बी.आई. डायरेक्टर 2 दिसम्बर को रिटायर हो रहे हैं, इससे पहले सरकार को नियुक्ति करनी थी। नियुक्ति करने के लिए यह संशोधन आवश्यक हो गया था। मैं मानता हूं कि सरकार के हित में, जनता के हित में और जनता का विश्वास प्राप्त करने के हित में यह महत्वपूर्ण कदम है। इसका हमें और आप सब को मिल कर समर्थन करना चाहिए।

महोदय, मैं मानता हूं कि इस कार्य से ऐसा नहीं लगे कि एक पार्टी विशेष ने, सत्ताधारी दल ने, अपने बल संख्या के दम पर इसको पास करवा लिया। हम यह चाहते हैं कि इस संशोधन के मार्फत इस डिसिजन में हर पार्टी का और खासतौर से जो सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है उसका भी योगदान हो। आपने मुझे इस पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Sir, thank you very much for giving me this opportunity.

You know pretty well, and all of us know pretty well that CBI is a very premier institute, and of-late the post of Director, CBI has become very controversial in view of the recent observation of the Supreme Court and also in view of the various acts of commissions / omissions of the present Director.

15.01 hrs (Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

This august House knows pretty well that this issue is more important for the last two Lok Sabhas, namely, 14th Lok Sabha and 15th Lok Sabha. BJP, the Party in Government now, has alleged many times that CBI has become an alliance partner of the Congress Party. I am sure that everybody remembers this. In fact, it was not named Central Bureau of Investigation, but it was nick-named as Congress Bureau of Investigation, and using the CBI, various Parties were threatened, forced and cajoled so that they support a particular Government. This is a fact. I am not talking politics. I am talking about the facts, which BJP itself has brought to the notice of this august House many times. To an extent, it is true that the CBI was manipulated by the Party in power for their political needs, and it is correct.

Now, we appreciate the BJP for bringing amendments because as per the Lokpal Act there are three Members, that is, the Leader of Opposition, PM and the Chief Justice, and all these nominees should be there. We appreciate the BJP that in spite of having majority, as there is no Leader of Opposition, they have now suggested an amendment that any Leader who is the Leader of the largest Opposition Party takes the place of the Leader of Opposition. This is well appreciated, and we definitely thank the Government for bringing this amendment.

Mr. Satpathy, a senior Member, and also my colleague Mr. Vinod has brought to our notice about the second amendment that in the absence of one Member among the three, the CBI Director can be appointed and it shall not be questioned by anybody even by the rule of law. What is the spirit behind having these three Members? The spirit does not mean that the three Members have to have unanimous opinion. Even on earlier occasions, if I am not wrong, BJP sometimes dissented about the CBI Director, but still the UPA Government at that time appointed him. If I am not wrong, Shrimati Sushma Swaraj had then written a dissent note at that time. So, the same thing should be here also. I was not in politics at that time, but I was observing. My request is that they should be magnanimous.

If somebody does not come wilfully, then it is a different thing. Suppose, the Leader of Opposition or in his place the Leader of the single-largest Party does not come, then they should be given adequate chance say a maximum of 3 times and that amendment should be there. I do not think that any responsible Member of the Opposition will not come wilfully, but if adequate opportunity is given and if by any chance they still do not take their responsibility seriously, then the second-largest Party Leader at least should be given a chance so that it should be above suspicion. It is said that the Caesar's wife should be above suspicion. Similarly, the appointment of the CBI Director is important and significant not only function-wise, but even spirit-wise also it is important because it is a Pan-Indian organization, especially, in difficult times when issues like black money and many other issues are there. Some Party was making a different issue, but we know what exactly is behind it because there is CBI.

Suppose, the CBI Director is appointed without the consent or without the presence of the Opposition Member -- whether it is the Leader of Opposition or Leader of the single-largest Party or second-largest Party -- then it will send a very bad impression. It will send a bad signal.

Therefore, I would request you to look into this suggestion. We are not against the BJP moving this Amendment Bill. We appreciate it for the same. However, this Bill requires a little amendment as it is in the interest of the nation as also in the interest of the CBI. Big lawyers are sitting over there. Shri Ravi Shankar Prasad is an eminent lawyer and he knows pretty well that this little amendment that I am proposing is in the interest of the country as well as of the CBI. I would request the Government to take up this little amendment. After due consultations, they can incorporate the necessary changes in the amendment and then pass it as and when the Government wants it. Definitely, we have to pass it before 2nd of December as we have to have a new CBI Director by that time.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी सरकार यह अमेंडमैंट बिल लायी। यह केवल बिल की बात नहीं है, बल्कि प्रजातांत्रिक संस्थाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कितना विश्वास है, यह भी इंगित करता है। मुझे पिछली लोक सभा की एक घटना याद है, जब सीवीसी का चुनाव हो रहा था। उस समय एक विवादास्पद व्यक्ति को सीवीसी बनाने का प्रयास किया जा रहा था। उस समय लीडर ऑफ आपोजिशन माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज ने उसका विरोध किया था। वह विरोध बाकायदा दर्ज किया गया था, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गयी। उसका नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा उस सीवीसी को निष्कासित किया गया, जो लोकतांत्रिक संस्था और लोक सभा के लिए शर्म की बात है। उसके बाद हमने सीबीआई डायरेक्टर का मामला देखा। उसमें भी हमारी माननीय एलओपी ने अपनी नाराजगी शो की थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बनाया गया। जिस तरह से 2जी स्कैम में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, वह सभी संस्थाओं के लिए बहुत ही शर्मनाक है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी का बेहद आभारी हूं कि उन्होंने पूरी तरह से इस लोकतांत्रिक संस्था पर विश्वास किया है। अगर एलओपी नहीं हो सकते तो उनके बदले जो भी बड़ी विरोधी दल की पार्टी हो, उसका सदस्य लेने का उन्होंने निर्णय किया है। इसके लिए कोई बाध्य नहीं था, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि पिछली सरकार में यह परम्परा रही है कि बिना एलओपी की मर्जी के बिना किसी को भी नियुक्त कर दो। लेकिन हम चाहते हैं कि सभी दलों को पूरी तरह से कांफिडेंस में लेकर बात करें, चाहे कोई भी इश्यू हो। अभी आपने खुद देखा कि यहां पर काले धन पर चर्चा हो रही थी, जिस पर हमारे मंत्री चर्चा के लिए तैयार थे लेकिन विरोधी दल तैयार नहीं हुआ। जब उन्हें शामिल होने की बात है, क्योंकि इतने दिनों से स्पीकर महोदया से बोला जा रहा था कि एलओपी बनाया जाये, बाकायदा अटार्नी जनरल का मंतव्य इस पर आ गया कि वे एलओपी नहीं बन सकते, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं है। अगर जनता ने उन्हें रिजैक्ट किया, उन्हें विरोधी दल के लायक भी नहीं समझा तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। उनका दस वर्षों का जो घोटाला है, जो उनका कार्यकाल है, वह उसका जिम्मेदार है। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि यह एक बहुत अच्छा कदम है। अगर किसी लोकतांत्रिक संस्था के निदेशक की नियुक्त होनी है, तो सभी दलों को विश्वास में लेकर किसी गैर विवादास्पद व्यक्ति को ही बनाना उचित है। हम यह भी अनुरोध करेंगे कि आज भी विरोधी दल ने बायकाट किया और जब सत्ता में थे तब भी वे हर चीज बुलडोज करते थे। मुझे लगता है कि इनकी मानसिकता ही ऐसी बन गयी है कि कोई भी अच्छा काम न हो, चाहे वह अच्छा काम उनके पक्ष में ही क्यों न हो। मुझे लगता है कि इसीलिए आज वे संसद से बायकाट कर गये। उसके बावजूद भी हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने इतना बड़ा दिल दिखाया है और कहा कि वोटिंग आज नहीं होगी। इसके लिए मैं सबके प्रति बहुत आभारी हूं। मेरा यह कहना है कि चाहे कोई भी संस्था हो, सबको साथ लेना चाहिए, लेकिन सबका विश्वास लेने के लिए उनकी भी आवश्यकता है। आज माननीय स्पीकर महोदया कह रही हैं कि आप जिस विषय पर बहस कराना चाहते हैं, उस पर हम बहस कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे शोर मचा रहे हैं। इस तरह से कोई भी लोकतांत्रिक संस्था नहीं चल सकती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि वे आयें और संसद की कार्यवाही में भाग लें। हमारी सरकार उनकी हर बात सुनने के लिए तैयार है। वे जिस चीज पर बहस कराना चाहते हैं, उस बहस के लिए हम तैयार हैं। यह उनके लिए एक मौका है कि उनके जो प्रतिनिधि हैं, सीबीआई डायरेक्टर, जिनका कार्यकाल 30 तारीख को खत्म हो रहा है और 2 तारीख को नयी नियुक्ति होनी है, उसमें उनकी भी बात रखी जाये।

एक मैसेज जाए कि कोई निर्विवाद व्यक्ति बने, सीवीसी की पिछली बार की तरह घटना न हो कि इन्होंने जबरदस्ती किसी को बना दिया, इसके बाद घोटाले में पकड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने निकाल बाहर कर दिया। मेरा अपोजिशन के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने विचार रखें। हमारी सरकार उनके हर विचार सुनने और उनकी हर बात को एकोमोडेट करने को तैयार है। हम चाहते हैं कि इस देश में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सभी का आदर और सम्मान हो। कालेधन का इतना शोर मच रहा है, अगर सीबीआई का डायरेक्टर ही ठीक से नहीं बन पाएगा तो कालेधन की जांच कौन करेगा? मुझे लगता है कि ये डरे हुए हैं कि कहीं कालेधन की जांच में ऐसे नाम न आ जाएं जिससे इनको दिक्कत हो जाए। ये इसीलिए शोर मचाना चाहते हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते हैं। इसी कारण से ये बायकॉट कर रहे हैं ताकि कुछ ऐसा हो जाए कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति न हो और सीबीआई टीम स्क्वैर्जरलैंड न जा सके, जिससे पूर्व सरकार द्वारा और कुछ खास लोगों द्वारा किए गए काम में उनके नाम सामने न आ सकें।

मेरा सदन से अनुरोध है कि इस बिल पर सब मिलकर साथ दें ताकि देश में किसी भी उच्च संस्था का डायरेक्टर का पदाधिकारी सबकी मर्जी से बने, निर्विवाद बने। कांग्रेस के राज में, यूपीए के राज में जिस तरह के घोटालेबाज लोगों को इस तरह की पोस्ट दी गई, हमारी सरकार इसे नहीं दोहराने को कृतसंकल्प है, लेकिन आज भी उनकी मंशा शंका में है। जिस तरह से ये सीबीआई के डायरेक्टर की पोस्टिंग रोक रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी अच्छा व्यक्ति संवैधानिक पद पर रहे क्योंकि शरीफ व्यक्ति के संवैधानिक पद पर रहने से सबसे ज्यादा इन्हीं को तकलीफ होने जा रही है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : माननीय सभापति जी, आज यहां दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टाबलिशमेंट बिल लाया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। इस देश के हर व्यक्ति को लगता है जब भी कोई बड़ा गुनाह होता है जब उसका समाधान नहीं होता है तब एक ही संस्था है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। वह है सीबीआई। सीबीआई के पास जांच के लिए जाए और सीबीआई जांच करती है। सीबीआई की जांच के निर्णय पर लोग विश्वास करते हैं। हाल ही में जो हालत सीबीआई की हुई है, everybody ridicules CBI. Not only they criticize, they ridicule CBI. To the extent, once the Supreme Court has also ridiculed CBI. यह जो बात हुई, हमारे दोस्त ने क्रिटिसाइज किया है, बुरा लगा होगा कि स्विपिंग क्रिटिक्स नहीं करना चाहिए था, ठीक है, The fact remains fact. क्यों हुआ। ऐसी स्थिति में हाल ही में सीबीआई के डायरेक्टर थोड़े समय में रिटायर होने जा रहे हैं। हम उनकी जगह किसी को नियुक्त करना चाहते हैं।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : मैं इन्टरवीन नहीं करना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को रिडिक्युल किया है, मेरा कहना है कि यह सच्चाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक डायरेक्टर के कारण सीबीआई की छवि खराब नहीं होनी चाहिए, सीबीआई संस्था का हम सम्मान करते हैं इसीलिए उन्होंने रीज़न्स नहीं दिया। मेरे ख्याल से आप इसका ध्यान रखें।

SHRI ARVIND SAWANT : The reading between the two lines was that they did not even appreciate the role. For whatever has happened, the Supreme Court did not appreciate it. Let it be very clear. I do remember that what they had said. I do not know the verbatim what the hon. Supreme Court had said but I do remember that there was something which it was reading between the lines and they wanted to criticize the functioning of the CBI. But then, we too were criticizing the CBI that time. We were together while criticizing the CBI at that time.

Right now, I welcome this Bill because the new appointment has to be done in due course of time and also the clause which is saying that there should be two members from the Government and one from the Opposition. As the Opposition Leader is not there, I really welcome this idea. We have shown a big heart for that. Let the biggest party representative be there. In that case also, the second clause is little dangerous. No appointment of Director shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence of a Member in the Committee. There lies the problem. If that Leader from the Opposition or the Leader of the largest party remains absent or deliberately remains absent, I do agree that the Government cannot go on waiting for that. But they should be made responsible? How can they run away from this? They also cannot run away. My colleague has

already said that if they do not want to come, then let the Party, which is the second largest, should come. It may look ridiculous definitely. But then what is to be done? Let them come and say that they are also committed for this Bill. We also take the onus of it. We also take the responsibility that we will be there while participating in the process of appointment of the CBI Director. They should not go on criticising this outside the House. They are being given liberty to speak in the House, be the party to this Bill. Whatever they want to say, let them say it on the floor of the House. But they are not saying. That apprehension is there in the mind. I request the Government to come clear on this as to what will be the situation in that case. I would like to know whether the Government will take a decision and the critics will be there outside the floor of the House. That much clearance I need from the hon. Minister. I would whole-heartedly support this Bill. I welcome this Bill for appointment of the CBI Director.

डॉ. जितेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, मैं बड़े ध्यान से आदरणीय सदस्यगण के विचार सुन रहा था। आदरणीय मेघवाल जी, सतपथी जी, विनोद कुमार जी, आर.के. सिंह जी, दुष्यंत जी, मीणा जी, बोस जी, संजय जी तथा सावंत जी के विचार मैंने सुने। अच्छा लगता, यदि कांग्रेस के साथी भी यहाँ पर रहते। एक बात जो थोड़ी समझ में नहीं आ रही है, जो आदरणीय सदस्यगण के ध्यान में भी आ जाए, वह यह है कि वास्तव में यह कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार द्वारा ही लाया एक प्रावधान है, जिसमें थोड़ा-सा संशोधन और सुधार करने का यह प्रयास है। जैसा कि कहा जा रहा था कि बुलडोजिंग हो रही है या कुछ इस प्रकार का हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपको जो पत्र दिया गया है, वह सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। You see the Delhi Police (Establishment) Act, 1946, as amended by the Lokpal and Lokayukta 2013 Act, (1) of 2014. पिछली सरकार द्वारा यह संशोधन लाया गया था, परंतु शायद उस समय कांग्रेस के मित्रों को यह कल्पना नहीं थी कि चुनाव के बाद एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि कोई विपक्षी दल नहीं रह पाएगा या उनका गणित उस प्रकार का नहीं रहेगा that they qualify to be recognised as an Opposition Party. उस कारण से एक तकनीकी दुविधा उत्पन्न हो गयी। जैसा कि कहा गया कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति भी अब शीघ्र होनी अनिवार्य है। वे 2 तारीख को सेवानिवृत हो रहे हैं। इसलिए, इस विडंबना को दूर करने के लिए सब के साथ परामर्श करके और कानूनी सलाह लेकर यह निष्कर्ष निकाला गया। इसका एक विकल्प हो सकता है कि सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को ही लीडर ऑफ अपोजिशन स्वीकार कर लिया जाए ताकि यह तीन सदस्यों का जो प्रावधान है, उसकी पूर्ति की जा सके। कुल मिलाकर इस पर सभी सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा आभास हो रहा है। चूंकि इस पर चर्चा तो कल होगी, जैसा कि आदरणीय अध्यक्ष महोदया ने कहा है कि जिस प्रकार से एक सदस्य के न होने पर भी बैठक हो सकती है और नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है, उसमें यह कभी अनुमान न किया जाए और इस प्रकार का विचार न आए कि जानबूझकर इसलिए यह प्रावधान करने का प्रयास हो रहा है कि यदि एक सदस्य न हो तो दो सदस्यों की उपस्थिति में यह सरकार अपनी इच्छानुसार या अपनी मनमानी से इस प्रकार की नियुक्ति कर देगी। बहुत कल्पना करके यह विचार किया गया है। मान लीजिए कि किन्हीं कारणों से कभी कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वहाँ एक सदस्य उपस्थित नहीं रह पाता है, जैसा कि प्रावधान है कि तीन सदस्यों में से प्रधानमंत्री हैं, नेता विपक्ष हैं और मुख्य न्यायाधीश हैं। उस स्थिति में भी, चूंकि सभी ने इस बात को स्वीकारा कि सीबीआई एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है we cannot leave it in suspension and we cannot delay it unduly the process of appointment. इसलिए इसे उस नीति से और उस विचार से किया गया।

अब चूंकि यह चर्चा कल भी जारी रहनी है, बहुत अधिक बोलना इस समय उचित नहीं होगा, परंतु लोकतांत्रिक मूल्यों का आदर करते हुए, मैं यही अनुरोध करता हूं कि चूंकि आज विपक्ष के अधिकतर सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं, इसलिए यह उचित नहीं होगा कि that we press for the passage of this Bill. We would be ready to continue with the discussion tomorrow.

माननीय सभापति : इस विषय पर कल चर्चा करने के बाद पारित करेंगे।